न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/37/2023

बालकृष्ण यादव 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर।

..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 16.08.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट बालकृष्ण यादव 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड कृष्णा नगर भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है। कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 558 दिनांक 02.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के पत्रांक सामान्य/अपील/2022/7840 दिनांक 16.08.2023 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का कहना है कि उसे लोक सूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर को जरिये पत्रांक सामान्य/RTI(77)/ 2023/3938 दिनांक

16.06.2023 से को प्रेषित कर दिया गया था तथा उनके द्वारा प्रार्थी को भी जरिये पत्रांक 3940—41 दिनांक 16.06.2023 से सूचित कर दिया गया था।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अतः अपीलार्थी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर के कार्यालय में वॉछित सूचना प्राप्त करने हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर